



वशुवेव कुटुम्बम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

छावनी परिषद कार्यालय
कनॉट रोड,
देवलाली छावनी - 422401
नासिक, महाराष्ट्र
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय



Office of the Cantonment Board
Cannought Road,
Deolali Cantonment - 422401
Nashik, Maharashtra
Govt. of India, Ministry of Defence



फोन : 0253 - 2491206, फैक्स : 2492599, ई-मेल : ccodeol-stats@nic.in

“हर काम देश के नाम”

संख्या: 3943/BLD/E-8/ 2605

दिनांक : 11 / 09 / 2024

सेवा में,

श्रीमती आरती सतिश गायकवाड और अन्य 01,
तर्फे, सोनार इंजिनियर्स,
नाशिक रोड, नाशिक।

विषय: आवासीय भवन हेतु भवन आवेदन पत्र एवं नक्शे की स्वीकृति हेतु।

प्रिय महोदया,

संदर्भ: भगुर देवलाली छावनी के रेवेन्यु सर्वे संख्या 39/3ब/2 प्लाट संख्या 22 पर भवन नक्शा हेतु आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 10.08.2024।

02. भगुर आवेदन क्रमांक BPA-APP-DEOL-2024-07-29-004501 दिनांक 10.08.2024 में उल्लिखित भगुर देवलाली छावनी के रेवेन्यु सर्वे संख्या 39/3ब/2 प्लाट संख्या 22 को ऑनलाइन स्वीकृति संख्या BPA-PN-DEOL-2024-09-01-002737 दिनांक 01.09.2024 (अनुलग्नक -अ) और छावनी परिषद संकल्प संख्या 05 दिनांक 29.08.2024 आवासीय भवन योजना को अनुमोदन दिया गया है। इसके अलावा आपको उक्त संबंध में नीचे दिए गए शर्तों का भी पालन करना अनिवार्य है और यह स्वीकृति का एक भाग है :-

01. इस कार्यालय को लिखित रूप में निर्माण शुरू होने की तारीख की सूचना दी जानी चाहिए, ऐसा न करने की स्थिति में पत्र जारी होने की तारीख को ही निर्माण शुरू होने की तारीख के रूप में माना जाएगा।

02. यह ध्यान दिया जाए कि परिषद के द्वारा किसी भी मामले में दो बार से अधिक विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी, एक बार की अनुमति एक साल की रहेगी।

03. यदि आप इस कार्यालय को सूचित किए बिना या प्लिंथ पूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना प्लिंथ स्तर से ऊपर निर्माण करते हैं तो आपके द्वारा किए गए निर्माण कार्य को अनाधिकृत माना जाएगा। प्लिंथ स्तर के निर्माण में और स्वीकृत भवन नक्शे में किसी भी प्रकार का विचलन / अतिक्रमण होने पर, स्वीकृति के रद्द होने का जोखिम उठाना होगा, इसे ध्यान में ले।

04. भवन नक्शे के स्वीकृति के कारण आवेदकों और अन्य पक्षों के बीच / साथ किसी भी प्रकार की कानूनी विवाद उत्पन्न होने पर छावनी परिषद / मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पक्षदार नहीं बनाया जाएगा।

05. आपको विषय परिसर में 03 पेड़ लगाना होगा, जिसकी देखभाल आपके द्वारा की जायेगी एवं वह स्वीकृति का एक भाग होगा और उपरोक्त वर्णित अनुसार विभिन्न स्तरों में उसकी जाँच भी की जाएगी और जमा की गई राशि की वापसी का दावा 08 वर्ष की अवधि के पूर्णता के बाद 01 वर्ष तक ही वैध होगा। आवेदक उपक्रम में सफल अनुपालन के अधीन यांनी लगाए गए पौधों को अच्छी तरह से बनाए रखना और यदि इस कार्यालय द्वारा जाँच के दौरान परिसर के अंतर्गत कथित संख्या में बड़े हुए पेड़ पाए गए तो 05 वर्ष की अवधि के पूर्णता के बाद ही 03 वर्ष अवधि के दरम्यान पेड़ हेतु जमा की गई राशि वापस की जाएगी। यदि उक्त निर्धारित अवधि के भीतर वृक्ष जमा की वापसी के लिए राशि का आवेदन नहीं किया गया, तो जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा और छावनी बोर्ड देवलाली खाते में जमा किया जाएगा। कृपया इसे ध्यान में रखें।

06. भवन निर्माण पूर्ण होने के 30 दिनों के अन्दर आपको इसकी जानकारी इस कार्यालय को देनी होगी, ऐसा न करने की स्थिति में भवन पर कर स्वीकृत अवधि समाप्त होने के बाद से लगायी जाएगी, कृपया इसे ध्यान में ले।

07. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 82 के तहत सूचना के अनुसार, उपरोक्त पैरा (2) में उल्लिखित छावनी परिषद संकल्प के माध्यम से छावनी परिषद द्वारा आपको दिए गए स्वीकृति एवं इस पत्र के द्वारा आपको दिए गए भवन नक्शे के अनुसरण में, आपको उक्त भवन के निर्माण / पुनःनिर्माण पूर्ण होने की तारीख एवं उक्त भवन पर कब्जा किए जाने की तारीख की सूचना इस कार्यालय को देना आवश्यक है।

08. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 82(1) के तहत भवन के पूर्ण होने या भवन पर कब्जा करने की तारीख, जो भी पहले हो, से 30 दिनों के अन्दर आपको मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सूचना देना अनिवार्य है, विफल होने पर छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 82(2) के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

09. आपको संशोधित विकास शुल्क का भुगतान करना होगा, यदि लगाया जाता है।

10. भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात, आवेदक को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 246 के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी से पूर्ति प्रमाणपत्र करना होगा। पूर्ति प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, जलसंबंधन और विद्युतीय संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा, कृपया इसे ध्यान में ले।

11. भवन निर्माण पश्चात आपको उचित पूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। पूर्ति प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात ही भवन पर कब्जा किया जाएगा। छावनी अधिनियम, 2006 के तहत वर्तमान उपविधियां / निर्णय अनुसार उचित नियम / प्रक्रियाओं का पालन न करने पर आवेदक को जैसा लागू हो, जुर्माना देना होगा।

12. श्रमिकों के साथ ही साथ आसपास की अन्य संपत्तियों के लिए आवश्यक सुरक्षा सावधानियों का ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य किया जाना चाहिए ।

13. निर्माण स्थल पर सुरक्षा के लिए उचित साइन बोर्ड लगाए जाएंगे ।

14. यदि निर्माण के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो यह मालिक की जिम्मेदारी होगी और छावनी बोर्ड किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

15. आवेदकों/कब्जाधारियों को बाद में छावनी बोर्ड देवलाली से पहुंच मार्ग (APPROACH ROAD), जलापूर्ति (WATER SUPPLY), जल निकासी (DRAINAGE) और अन्य, जैसी किसी भी नागरिक सुविधा का दावा करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा, यदि लागू हो तो । कृपया इसे ध्यान में ले ।

16. आपको स्वीकृत निर्माण स्थल पर धातु का एक बोर्ड लगाना होगा जिसपर मालिक का नाम, सर्वे संख्या, प्लॉट संख्या, शिवर, स्वीकृति की तारीख और स्वीकृति की वैध अवधि आदि स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए । धातु के बोर्ड पर ऐसा लिखा होना चाहिए की जो 50 फीट की दूरी से भी नग्न (खुली) आँखों द्वारा पढ़ा जा सके ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित ।

भवदीय | Yours faithfully,

(विवेक बंड) (VIVEK BAND)
सहायक कार्यकारी अधिकारी | Assistant Executive Officer,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी | For Chief Executive Officer
देवलाली छावनी परिषद के लिए | Deolali Cantonment Board

संलग्न: विधिवत अनुमोदित एवं मुहर लगी हुई
स्वीकृत नक्शे (ब्लू प्रिंट) की प्रति

इसकी प्रति: जल पूर्ति विभाग।
छावनी बोर्ड, देवलाली

: उचित कार्रवाई हेतु ।

Plan Section - Elevation of House, Buildings etc.

Scale and less than 1:1000

Scale 1:100

From the site

The building plan conforms to the building regulations.

The building will be erected in accordance with the plan shown here.

Date: 29. 07.2024

Engineer in Charge



For Mr. Satish P. Gaikwad and other one,



Company Address:

C/o, Sonar Engineers and Planners,
S-36, Regimental plaza, Bytooo point
Tel No: Nashik road, Nashik-422101

REFERENCE

PROPOSED WORK TO BE PERFORMED IN ROAD
SECTION WORK TO BE UNDERTAKEN IN ROAD
SECTION WORK TO BE UNDERTAKEN IN ROAD

SITE PLAN OF GROUND

SECTION WORK TO BE UNDERTAKEN IN ROAD

1/

SECTION WORK TO BE UNDERTAKEN IN ROAD

1/ Every person intending to erect or demolish a building shall apply for section by giving a plan to the Chief Executive Officer under section 222 of the Ordinance and 2006 in a form approved by these regulations and shall at the same time submit a plan of the site signed by him or by his agent in the following:-

a) A site plan of the land on which it is intended to erect or demolish the building drawn on tracing cloth or a plan of the building which has proposed to erect or demolish together with a plan of the existing building if any showing the proposed demolition and other particulars drawn on tracing cloth and

b) A plan of the site.

Proposed work shall be drawn to a scale of not less than 1:1000. For section the Government Board Office. Copies of the plans may be obtained on request from the Chief Executive Officer. For section the Government Board Office.

2/ The site plan shall be drawn to a scale of not less than 1:1000. For section the Government Board Office.

a) The dimensions of the site.

b) The location of the site in relation to the proposed to erect or demolish the building.

c) The position of the site in relation to the proposed to erect or demolish the building.

d) The position of the site in relation to the proposed to erect or demolish the building.

e) The position of the site in relation to the proposed to erect or demolish the building.

f) A plan of the site showing the proposed to erect or demolish the building together with the boundaries of the site.

g) A plan of the site showing the proposed to erect or demolish the building together with the boundaries of the site.

h) A plan of the site showing the proposed to erect or demolish the building together with the boundaries of the site.

i) A plan of the site showing the proposed to erect or demolish the building together with the boundaries of the site.

j) A plan of the site showing the proposed to erect or demolish the building together with the boundaries of the site.

k) A plan of the site showing the proposed to erect or demolish the building together with the boundaries of the site.

l) A plan of the site showing the proposed to erect or demolish the building together with the boundaries of the site.

Schedule No.

Order of CEO in Form No. Resolution No.

Form No. 21

Building Plan/Revised Building Plan Sanctioned
vide Cantonment Board Resolution No. 05
Dated: 29.08.2024

Considered and Sanctioned under Section 238 of the Cantonment Act 2008 from municipal point of view only without prejudice to the right of ownership and subject to the terms and conditions under which the site is held by the applicant. The Sanctioned plan should be adhered to absolutely in every particular. Any deviation may entail demolition of the unauthorised erection. The work shall be commenced within two years from the date of sanction and shall be completed within two years. ^{Chief Executive Officer} ^{Deputy Commr.} from the date of the commencement of the work. The date of commencement of the work shall be communicated by the applicant in writing to the Chief Executive Officer. An application for extension of time to complete the construction, if required, should be made before the expiry of the period of sanction issued by the Office

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

CANTONMENT BOARD DEOLA

[Signature]
Sd/-
Chief Executive Officer, Deola

Deola

3943 H.O.F.R. 2605

Referenced with the following Form No.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
CANTONMENT BOARD